बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अधिसूचना

संख्या–3/स्था0 शक्ति–03/2018– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– / /2018

श्री संजय कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेखपुरा को भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा–3 (जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, शेखपुरा के रूप में भू–अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा–11, 13, 15, 16 (6), 17, 19 एवं 81 को छोडकर समाहर्त्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. साथ ही श्री कुमार को पूर्व की प्रकियान्तर्गत भू–अर्जन कार्यों के लंबित मामलों के सम्पादन हेतु भू–अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा–4, 5 (ए) 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्त्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

3. इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

4. एतद् सम्बन्धी पूर्व की निर्गत सभी अधिसूचनाएँ इस हद तक संशोधित समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(गोपाल प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –3/स्था0 शक्ति–03/2018– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– / /2018

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, पटना/समाहर्त्ता, शेखपुरा/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(गोपाल प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –3/स्था0 शक्ति–03/2018– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– / /2018

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(गोपाल प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –3/स्था0 शक्ति–03/2018– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– / /2018

प्रतिलिपि–सहायक निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अर्जन प्रशाखा, भू–अर्जन निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(गोपाल प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –3/स्था0 शक्ति–03/2018– 467 (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– 7/9/2018

प्रतिलिपि–आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेब–साइट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबधित को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

7/9/18
(गोपाल प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव